न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 044/2020

वीरोंदेवी पत्नी जगूराम जाट
निवासी हाथीतला,
तहसील व जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. धनसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत
2. नारायणसिंह पुत्र दलसिंह राजपूत
3. गुलाबसिंह पुत्र दलसिंह राजपूत
   निवासीगण आसाडी, तहसील गडरारोड
   जिला बाडमेर
4. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार गडरारोड
   जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) शिव दिनांक 13 दिसम्बर 2019 प्रकरण संख्या 159/2019 धनसिंह बनाम नारायणसिंह

उपस्थित–
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
रेस्पो. संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर., 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) शिव द्वारा प्रकरण संख्या 159/2019 धनसिंह बनाम नारायणसिंह में पारित आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का निवेदन किया। साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में सरहद मौजा आसाडी तहसील गडरारोड स्थित संयुक्त खातेदारी के मूल खसरा संख्या 309 बाबत पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारा के फलस्वरूप कायम खसरा संख्या 652/309 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा व खसरा संख्या 309 रकबा 45 बीघा 13 बिस्वा के नक्शा लट्ठा में की गयी तरमीम एवं मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त में भिन्नता होना जाहिर करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. धनसिंह द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर दुरूस्ती का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि आराजी खसरा संख्या 652/309 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा में अपीलाण्ट का 420/914वां हिस्सा है जो जरिये विक्रय विलेख दिनांक 14 जून 2019 अपीलाण्ट द्वारा क्रय किया गया एवं उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 555 दिनांक 05 अगस्त 2019 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किये गये। इसके बाद रेस्पो. संख्या एक से तीन जो परस्पर रिश्तेदार है, की नीयत में खोट आ जाने से विचारण न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए एवं अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया गया, जो सही नहीं है। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने का मुश्तहक है, अतः अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस कारण अपीलाण्ट को विचारण न्यायालय में हुई कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलाण्ट को मौके पर उसके कब्जे से बेदखल किये जाने का प्रयास किये जाने व जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर अपीलाण्ट संशय हुआ और अपने अधिवक्ता के जरिये विचारण न्यायालय में जानकारी करने पर दिनांक 07फरवरी 2020 को जानकारी हुई, तब नकल हेतु आवेदन किया, नकल दिनांक 27 फरवरी 2020 को प्राप्त हुई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मगर अपीलाण्ट स्वयं एक महिला होने तथा अपीलाण्ट के पति बाहर होने के कारण दिनांक 11 मार्च 2020 तक अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश नहीं की जा सकी। होली के अवसर पर अपीलाण्ट अपने पति के गांव वापिस आने पर जोधपुर आकर अधिवक्ता मुकर्रर कर जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जावे। गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट वादग्रस्त खसरा संख्या 652/309 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा में 420/914वां हिस्सा की सद्भावी केता होकर सहखातेदार एवं काबिज काश्तकार है, ऐसी स्थिति में मामले में उसे पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे और विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट व अन्य हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप विधिसम्मतः ढंग से मामले का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

रेस्पो. संख्या एक से तीन बावजूद सूचना अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी(खतौनी) ग्राम आसाडी संवत 2073–2076 के विशेष विवरण के कॉलम में म्युटेशन संख्या 555 दिनांक 05 अगस्त 2019 के संदर्भ से खसरा संख्या 652/309 बाबत नारायणसिंह वल्द अचलसिंह), गुलाबसिंह वल्द दलसिंह 37/914 कौम राजपूत साकिन देह, वीरो पत्नी जगूराम कौम जाट 420/914 निवासी हाथीतला सहखातेदार दर्ज है। अपील स्तर पर प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14 जून 2019 की प्रति के अवलोकन से कि गुलाबसिंह पुत्र डलसिंह राजपूत निवासी आसाडी द्वारा खसरा संख्या 652/309 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा में अपने हिस्से की भूमि में से 21 बीघा भूमि का बेचान वीरो पत्नी जगूराम जाट के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसी प्रकार चूंकि अपीलाण्ट आलौच्य मामले में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिससे विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं हो पाना स्वभाविक है। अतः मियाद–प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह भलीभांति प्रकट होता है कि अपीलाण्ट वादग्रस्त खसरा संख्या 652/309 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा में 420/914वां हिस्सा की सद्भावी केता होकर सहखातेदार एवं काबिज काश्तकार है, ऐसी स्थिति में मामले में उसे पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट व अन्य हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप विधिसम्मतः ढंग से मामले का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त